



बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित
विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

नीतीश कुमार

मुख्य (वित्त) मंत्री

फरवरी, 2014

विषय सूची

	पृष्ठ
(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	1-5
(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	6-12
(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	12-16

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 को 18 फरवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरणों को रखेगी। उक्त के आलोक में विवरणियाँ निम्नवत है:-

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण

1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत अवलोकन-

1.1 बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका क.1 में प्रदर्शित है।

तालिका क.1: अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर)
(प्रतिशत में)

क्षेत्र / वर्ष	अखिल भारत		बिहार	
	2004-05	2012-13	2004-05	2012-13
प्राथमिक	19.03	13.69	31.54	21.34
द्वितीयक	20.22	18.93	13.76	21.48
तृतीयक	60.75	67.38	54.70	57.18

स्रोत- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

नोट:- वर्ष 2012-13 के आंकड़े त्वरित अनुमानित हैं।

1.2 वर्ष 2004-05 से 2012-13 की अवधि में अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस अवधि में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.03 प्रतिशत से घटकर 13.69 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 20.22 प्रतिशत से घट कर 18.93 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 60.75 प्रतिशत से बढ़कर 67.38 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि में बिहार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 31.54 प्रतिशत से घटकर 21.34 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.76 प्रतिशत से बढ़कर 21.48 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 54.70 प्रतिशत से बढ़कर 57.18 प्रतिशत हो गया है।

1.3 वर्ष 2004-05 में अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बिहार का योगदान 2.62 प्रतिशत था जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 3.00 प्रतिशत हो गया है । वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में राज्य के घरेलू उत्पाद में 14.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । वर्ष 2006-13 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (Compounded Annual Growth Rate) 12.00 प्रतिशत रही है, जबकि इसके पूर्व वर्ष 1999-2006 में यह 5.70 प्रतिशत ही थी ।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि-

2.1 वर्ष 2012-13 के त्वरित अनुमान के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर) में गत वर्ष की तुलना में 14.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

2.2 बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 की अवधि में 12.00 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 7.67 प्रतिशत से काफी अधिक है । वर्ष 2012-13 में स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 6.25 प्रतिशत, 17.14 प्रतिशत तथा 16.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

2.3 वर्ष 2012-13 के त्वरित अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 308640 करोड़ रुपये है । इसमें पिछले वर्ष के औपबंधिक अनुमान की तुलना में 24.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि वर्ष 2011-12 की तुलना में 20.80 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक है । वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान तथा उनमें वृद्धि/कमी की स्थिति तालिका क.2 में दर्शाई गई है ।

2.4 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के चालू मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में प्रतिव्यक्ति आय 25,074 रुपये थी जो वर्ष 2012-13 में 23.35 प्रतिशत की दर से बढ़ कर 30,930 रुपये हो गयी है ।

तालिका क.2

स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2004-05) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान
(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	क्षेत्र	2011-12 (प्रावधिक अनु.)	2012-13 (त्वरित अनु.)	2011-12 की तुलना में 2012-13 में प्रतिशत वृद्धि/कमी
1	कृषि /पशुपालन	29314.13	31200.88	6.44
2	वानिकी /काष्ठ उत्पादन	2365.68	2319.56	-1.95
3	मत्स्य उद्योग	1458.28	1693.96	16.16
4	खनन /प्रस्तर खनन	89.23	89.25	0.02
	उप योग (प्राथमिक)	33227.32	35303.65	6.25
5	विनिर्माण	8383.94	9192.43	9.64
	(i) निबंधित	3707.84	4373.85	17.96
	(ii) अनिबंधित	4676.10	4818.58	3.05
6	निर्माण	19955.06	24155.94	21.05
7	विद्युत /जलापूर्ति /गैस	1850.86	2015.27	8.88
	उप योग (द्वितीयक)	30189.86	35363.64	17.14
8	परिवहन /भंडारण/ संचार	11240.22	12093.12	7.59
	(i) रेलवे	2560.72	2777.30	8.46
	(ii) अन्य परिवहन	3734.35	4326.96	15.87
	(iii) भंडारण	100.85	107.12	6.22
	(iv) संचार	4844.3	4881.74	0.77
9	व्यापार /होटल/ रेस्टोरेंट	32065.13	37769.34	17.79
	उप योग (8+9)	43305.35	49862.46	15.14
10	बैंकिंग / बीमा	7495.42	8726.15	16.42
11	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	7486.02	8235.45	10.01
	उप योग (10+11)	14981.44	16961.60	13.22
12	लोक प्रशासन	7691.02	8605.62	11.89
13	अन्य सेवाएं	14753.98	18920.91	28.24
	उप योग (तृतीयक)	80731.79	94350.59	16.87
	कुल जी०एस०डी०पी०	144148.97	165017.88	14.48

स्रोत:- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- 2029 दिनांक-26.12.2013.

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

- 3.1 वर्ष 2012-13 में राजस्व आधिक्य 5100.51 करोड़ रु० हुआ जबकि बजट में 7088.59 करोड़ रु० अनुमानित था । वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा 7569.43 करोड़ रु० के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविकी के अनुसार 6545.26 करोड़ रु० हुआ है जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद 308639.60 करोड़ रुपये का 3.0 प्रतिशत) के भीतर है एवं मात्र 2.12 प्रतिशत है ।
- 3.2 वर्ष 2012-13 की वास्तविकी के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 59566.66 करोड़ रु० है जो बजट अनुमान 68047.86 करोड़ रु० से कम है । इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में राज्य सरकार के कर-भिन्न राजस्व एवं केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान मद में बजट अनुमान से कम राशि प्राप्त होना है ।
- 3.3 वर्ष 2012-13 में राज्य के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ 16253.08 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान 15695.30 करोड़ रुपये से 3.55 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2012-13 में राज्य के करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ 1135.27 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान 3142.46 करोड़ रुपये से 63.87 प्रतिशत कम है। इसका मुख्य कारण पेंशन मद में झारखण्ड राज्य से अनुमानित राशि 2000.00 करोड़ रुपये में मात्र 150 करोड़ रुपये प्राप्त होना था। वर्ष 2011-12 में कर राजस्व एवं करेतर राजस्व में क्रमशः 12612.10 करोड़ रुपये एवं 889.86 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी ।

4. संभावनाएं-

- 4.1 वर्ष 2012-13 में अपर्याप्त वर्षा के बावजूद कृषि क्षेत्र में 6.44 प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) की वृद्धि दर्ज की गई है । इससे राज्य की आर्थिक विकास दर में सुधार हुआ है ।
- 4.2 वर्ष 2011-12 से 2012-13 में बिहार राज्य में पंजीकृत विनिर्माण की विकास दर 17.96 प्रतिशत है । विनिर्माण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित हुआ है; परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र की विकास दर में और सुधार की आशा है । निर्माण क्षेत्र में 21.05 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 4.3 वर्ष 2012-13 में तृतीयक क्षेत्र के बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में 16.42 प्रतिशत एवं व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट परिक्षेत्र में 17.79 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है ।
- 4.4 राज्य के राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत वर्ष 2012-13 में मात्र 2.12 प्रतिशत रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रहा है । वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिसीमा 3.00 प्रतिशत तक रहने की संभावना है ।

तालिका क.3:- प्रमुख राजकोषीय सूचकों का रुझान (राशि करोड़ ₹० में)

अनु० क्र०	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष 2012-13 (वास्तविकी)	चालू वर्ष 2013-14 (बजट अनुमान)	आगामी वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान)	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ	59566.66	80066.47	101939.46	34.41	27.32
2	कर राजस्व (क+ख)	48153.47	58943.68	67438.00	22.41	14.41
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	31900.39	37980.98	41775.05	19.06	9.99
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	16253.08	20962.70	25662.95	28.98	22.42
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	1135.27	3416.08	3081.68	200.90	-9.79
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	10277.92	17706.71	31419.78	72.28	77.45
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	9578.66	11832.69	14743.31	23.53	24.60
6	(क) ऋणों की वसूली	24.7	13.28	15.97	-46.23	20.26
	लोक ऋण (7+8)	9553.96	11819.41	14727.34	23.71	24.60
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	9045.94	10393.36	12878.15	14.90	23.91
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	508.02	1426.05	1849.19	180.71	29.67
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	69145.32	91899.16	116682.77	32.91	26.97
10	आयोजना भिन्न व्यय	40825.41	53081.63	59231.04	30.02	11.58
11	राजस्व खाते पर जिसमें	37573.69	49602.13	55426.51	32.01	11.74
12	(क) ब्याज भुगतान	4428.31	5887.97	6581.46	32.96	11.78
12	(ख) पेंशन	8363.53	11274.04	11666.33	34.80	3.48
12	(ग) वेतन	12874.38	16836.92	18204.75	30.78	8.12
13	पूँजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	3251.72	3479.50	3804.52	7.00	9.34
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	2585.23	2660.13	2973.06	2.90	11.76
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	484.72	578.60	589.83	19.37	1.94
	(ग) पूँजीगत व्यय	93.15	149.33	151.00	60.31	1.12
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	88.62	91.44	90.63	3.18	-0.89
14	आयोजना व्यय	28381.16	39006.30	57655.12	37.44	47.81
	(क) राज्य योजना	25658.59	34000.00	57392.44	32.51	68.80
	(ख) के.प्र.यो.+के.यो.यो.	2722.57	5006.30	262.68	83.88	-94.75
15	राजस्व खाते पर	16892.45	23655.49	36338.92	40.04	53.62
16	पूँजीगत खाते पर	11488.70	15350.81	21316.21	33.62	38.86
17	कुल व्यय (10+14)	69206.57	92087.93	116886.16	33.06	26.93
18	राजस्व व्यय (11+15)	54466.14	73257.62	91765.43	34.50	25.26
19	पूँजीगत व्यय (13+16)	14740.42	18830.31	25120.73	27.75	33.41
20	राजस्व घाटा (18-1)	-5100.52	-6808.85	-10174.03	33.49	49.42
21	राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13ख)}	6545.26	8769.45	11367.84	33.98	29.63
22	प्राथमिक घाटा (21-12क)	2116.95	2881.48	4786.38	36.11	66.11
23	जी.एस.डी.पी.	308639.60	314155.00	383709.00	1.79	22.14
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.12%	2.79%	2.96%	31.63	6.13
25	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	7.43%	7.35%	6.46%	-1.08	-12.21

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण:-

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया। उक्त के आलोक में राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में समाप्त करना था और इसके पश्चात राजस्व अधिशेष बनाये रखना था। वर्ष 2008-09 से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत तक रखा जाना था। आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा इस लक्ष्य को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये क्रमशः 4.00 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत रखा गया था। वर्ष 2012-13 के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया है। आगामी वर्षों में भी 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटे को 3.00 प्रतिशत की सीमा में रखा जायेगा। इसके साथ ही 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबंधन (ऋण सीमा सहित) संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

तालिका ख.1: राजकोषीय संकेतक-परिवर्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ ₹० में)

क्र० सं०	मद	वास्तविकी	वास्तविकी	बजट अनुमान	लक्ष्य		
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	सकल घरेलू उत्पाद	246994.74	308639.60	314155.00	383709.00	427835.54	477036.62
2	राजस्व बचत	4820.69	5100.51	6808.85	10174.03	10682.73	11216.87
3	राजकोषीय घाटा	5914.88	6545.26	8769.45	11367.84	12835.07	14311.10
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	50990.36	57474.37	66536.14	77700.59	90166.55	104071.63
5	कर राजस्व	40547.33	48153.47	58943.68	67438.00	77553.70	89186.76
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	1.95	1.65	2.17	2.65	2.50	2.35
7	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा	2.39	2.12	2.79	2.96	3.00	3.00
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	16.42	15.60	18.76	17.58	18.13	18.70
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	20.64	18.62	21.18	20.25	21.08	21.82

नोट: जी. एस. डी. पी. के वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़े योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्र सं०- 2029 दिनांक- 26-12-2013 के आधार पर रखे गये हैं। वर्ष 2012-13 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का आधार मानते हुए वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 के वर्ष में दिखलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लोक ऋण की वास्तविकी पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में जो ऋण प्राप्ति दिखलायी गयी है उसमें से पुनरीक्षित बजट में दिखलायी गयी ऋण वापसी को घटा कर शामिल किया गया है।

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :-

- (क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 41775.05 करोड़ रु० अनुमानित है । केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य के हिस्से को वर्ष 2013-14 में भारत सरकार के बजट अनुमान पर 10 प्रतिशत वृद्धि मानते हुए अनुमानित किया गया है । वर्ष 2014-15 में राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 25662.95 करोड़ रु० है ।
- (ख) करेत्तर राजस्व - वर्ष 2014-15 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 3081.68 करोड़ रु० अनुमानित है जिसमें 1500.00 करोड़ रुपये झारखण्ड राज्य से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि प्राप्त होनी है ।
- (ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2013-14 (पुनरीक्षित अनुमान) में 21154.70 करोड़ रुपये अनुमानित है और 2014-15 में 25662.95 करोड़ रुपया प्राप्त होना अनुमानित किया गया है । वर्ष 2013-14 (पुनरीक्षित अनुमान) के कुल राजस्व में राज्य के कर राजस्व का हिस्सा 26.91 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2014-15 में 25.17 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है ।
- (घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने करेत्तर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2013-14 (पुनरीक्षित अनुमान) में 1919.42 करोड़ रुपये अनुमानित है और 2014-15 में 3081.68 करोड़ रुपया प्राप्त होना अनुमानित किया गया है । वर्ष 2013-14 (पुनरीक्षित अनुमान) के कुल राजस्व में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा 2.44 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 3.02 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है ।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :-

वर्ष 2014-15 में पूंजीगत प्राप्तियाँ 14743.31 करोड़ रु० होने की संभावना है जो वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान से 12315.01 करोड़ रुपये से 2428.30 करोड़ रुपये अधिक है।

वर्ष 2014-15 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी-

- (क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2014-15 में 1849.19 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है ।
- (ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां- राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत है । परन्तु यह राज्य में अल्प बचत योजनाओं में हुई जमा राशि के आधार पर अनिवार्यतः लेना पड़ता है । वर्ष 2014-15 में इस मद में 1000.00 करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान है ।
- (ग) वित्तीय संस्थानों से उधार - बाजार ऋण के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 9636.45 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है । नाबार्ड से वर्ष 2014-15 में 2165.90 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर प्राप्त होता जाता है । इसलिए यह ऋण सबसे सस्ता स्रोत है ।
- (घ) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली - 31 मार्च 2013 की स्थिति में राज्य का 20587.01 करोड़ रुपया उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग 15811.14 करोड़ रु० बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य अनुसंगी कम्पनियों एवं बिहार राज्य जल विद्युत निगम पर बकाया है ।
- (च) अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि - राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है । उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की आपूर्ति करने के लिये किया जाएगा ।
- (च) बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व - वर्ष 2012-13 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2013 की समाप्ति पर लोक ऋण 57474.37 करोड़ रुपये है । राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधि की 9345.74 करोड़ रुपये की राशि) को जोड़कर यह राशि 66820.11 करोड़ रुपये होती है ।

तालिका ख.2: राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(करोड़ रुपये में)

अनु० क्र.	प्रवर्ग	वर्ष 1 अप्रैल 2012 को शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति			वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
			पूर्ववर्ती वर्ष 2012-13	चालू वर्ष 2013-14	आगामी वर्ष 2014-15	पूर्ववर्ती वर्ष 2012-13	चालू वर्ष 2013-14	आगामी वर्ष 2014-15	पूर्ववर्ती वर्ष 2012-13	चालू वर्ष 2013-14	आगामी वर्ष 2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्तरिक ऋण										
(i)	बाजार उधार	20173.9	7100.00	8028.07	9636.45	1336.12	1153.91	1433.77	25937.78	32811.94	41014.62
(ii)	एनओएसओएसओफओ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	18832.08	1005.51	850.00	1000.00	712.64	855.00	794.62	19124.95	19119.95	19325.33
(ii)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	2517.66	931.57	1997.61	2241.70	328.61	442.79	535.01	3120.62	4675.44	6382.13
(iv)	बन्ध पत्र	850.02	0.00	0.00	0.00	207.86	209.66	209.66	642.16	432.50	222.84
(v)	अन्य ऋण	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/ अधिविकर्षण	-8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आन्तरिक ऋण	42364.80	9045.94	10875.68	12878.15	2585.23	2661.36	2973.06	48825.51	57039.83	66944.92
2	केन्द्र से ऋण	8625.56	508.02	1426.05	1849.19	484.72	578.60	589.83	8648.86	9496.31	10755.67
	कुल लोक ऋण	50990.36	9553.96	12301.73	14727.34	3069.95	3239.96	3562.89	57474.37	66536.14	77700.59
3	लोक लेखा (अल्पव्यय, भविष्य निधि इत्यादि)	9561.29	1296.09	1260.33	1644.50	1511.64	1137.34	1408.70	9345.74	9468.73	9704.53
	योग	60551.65	10850.05	13562.06	16371.84	4581.59	4377.30	4971.59	66820.11	76004.87	87405.12

(3) कुल व्यय :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा गैर-आयोजना व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान अनुसार आयोजना राजस्व व्यय 36338.92 करोड़ रुपये एवं गैर-आयोजना राजस्व व्यय 55426.51 करोड़ रु० अनुमानित है।

(क) राजस्व लेखा - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अनुदान शामिल है।

(i) ब्याज भुगतान - वर्ष 2014-15 में 6581.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है।

(ii) वेतन - वर्ष 2014-15 में गैर-आयोजना मद में 18204.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है। इस वेतन मद की राशि में राज्य सरकार के कर्मियों को भुगतान की जाने वाली राशि को ही सम्मिलित किया गया है। लोक उपक्रम/विश्वविद्यालयों इत्यादि के कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है, इसमें शामिल नहीं है।

(iii) पेंशन - पेंशन मद में वर्ष 2014-15 में 11666.33 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

(ख) पूंजीगत लेखा -

(i) उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2014-15 में उधार तथा अग्रिम मद में 406.49 करोड़ रुपया अनुमानित है जिसमें गैर-आयोजना मद में 90.63 करोड़ रुपये और आयोजना मद में 315.86 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

(ii) पूंजीगत परिव्यय -राज्य के पूंजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में आयोजना मद में 21000.35 करोड़ रुपये एवं गैर योजना मद में 151.00 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 के दौरान 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर 12.00 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि दर हासिल हुई है। वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद 383709.00 करोड़ रुपये 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2012-13 पर 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि मानते हुए दिखलाया गया है और वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में भी वर्ष 2012-13 पर 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का आधार मानते हुए प्रत्येक वर्ष दिखलाया गया है।

(5) **संवहनीयता का निर्धारण :**

- (i) **सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 25.49 प्रतिशत है तथा वर्ष 2014-15 में इसके 26.57 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2013-14 में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 6.67 प्रतिशत है और यह वर्ष 2014-15 में 6.69 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 12.09 प्रतिशत है और यह वर्ष 2014-15 में 10.89 प्रतिशत संभावित है।

वर्ष 2013-14 में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 7.35 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में घट कर 6.46 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान के अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 24.19 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2014-15 में 22.78 रहने की संभावना है।

- (ii) **गैर-आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान** - वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 की तुलना में वेतन मद में 8.02 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 3.48 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2012-13 की तुलना में 32.96 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2013-14 की तुलना में 11.78 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। गैर-आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 में 11.74 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

- (iii) **पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग** - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार नवें वर्ष राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है। सभी पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

- (iv) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - वर्ष 2014-15 में पेंशन मद में 11666.33 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2014-15 से आगे के वर्षों के लिए 16 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है।

तालिका ख.3: अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2014-15	11666.33
2015-16	13532.94
2016-17	15698.21
2017-18	18209.93
2018-19	21123.52
2019-20	24503.28
2020-21	28423.80
2021-22	32971.61
2022-23	38247.07
2023-24	44366.60

(ग) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण:-

- (1) राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार : राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी वृद्धि की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-आयोजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। पूर्व वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में 27.32 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 बजट अनुमान में 22.42 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। करेत्तर राजस्व में वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 बजट अनुमान में 9.79 प्रतिशत की कमी अनुमानित है जिसका मुख्य कारण झारखण्ड राज्य से पेंशन दायित्व की राशि कम प्राप्त होना अनुमानित है।

गैर-आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में 11.74 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इस वृद्धि का मुख्य कारण महंगाई भत्ते/राहत की अतिरिक्त किस्त एवं बकाया एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनों एवं पेंशन में वृद्धि है।

राज्य का राजस्व अधिव्यय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 6808.85 करोड़ रु० की तुलना में वर्ष 2014-15 में 10174.03 करोड़ रु० अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 8769.45 करोड़ रु० की तुलना में वर्ष 2014-15 में 11367.84 करोड़ रु० अनुमानित है। यह राजकोषीय संकेतक बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा में है।

- (2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति : चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा।

(अ) कर नीति : कर की दरों को युक्ति युक्त बनाकर कराधार को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही कर की अपवंचना को रोकना और कर संग्रहण में सूचना एवं प्रावैधिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कर संग्रहण से जुड़े कर्मियों के कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा तथा अच्छे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का बल है। राज्य सरकार के अपने कर संग्रहण में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में 28.87 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2013-14 के बजट की तुलना में वर्ष 2014-15 में राज्य के अपने कर राजस्व में 22.42 प्रतिशत की अधिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(आ) व्यय नीति : गैर-आयोजना के अनुत्पादक व्यय में कमी करना, राज्य योजना व्यय में वृद्धि करना, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में अपनायी गई कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्था निम्नानुसार है :-

(क) परिणाम बजट :- सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने वाले विवरणी “परिणाम बजट” की पहल वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी। इसी क्रम में वर्ष 2014-15 के लिए परिणाम बजट, जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) **जेण्डर बजट :-** महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वर्ष 2014-15 हेतु भी जेण्डर बजट, जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) **बाल कल्याण बजट:-** राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की संख्या का अनुपात महत्वपूर्ण है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है । बाल कल्याण बजट के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा अंकित होता है । बाल कल्याण बजट वर्ष 2013-14 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वर्ष 2014-15 हेतु भी बाल कल्याण बजट, जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(घ) **उपलब्धि प्रतिवेदन:-** वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गयी है । उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वर्ष उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत कराया जाता है । वर्ष 2013-14 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

- (3) **ऋण एवं आकस्मिक दायित्व:** वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है । इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है । आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निक्षेप निधि का गठन किया गया है । 31 मार्च 2013 में इस निक्षेप निधि में जमा की गयी राशि 931.38 करोड़ रुपये की है । विवरणी निम्नलिखित है-

तालिका ग.1: निक्षेप निधि विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1 अप्रैल 2012 को शेष	वर्ष 2012-13 में निक्षेप निधि में निवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2013 को शेष
निक्षेप निधि	773.52	254.95	54.45	1082.92

(4) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ:

- (i) कृषि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2012-17 के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया है जिसका 6 सूत्री ध्येय है- 1. खाद्य सुरक्षा, 2. पोषण सुरक्षा, 3. किसानों की आय में वृद्धि, 4. रोजगार सृजन एवं श्रमिकों के पलायन पर नियंत्रण, 5. कृषि विकास का समावेशी मानवीय आधार और महिलाओं की सघन भागीदारी तथा 6. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उनका टिकाऊ उपयोग। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि रोड मैप की निर्धारित योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) राज्य में मानव विकास के सुधार के लिए मानव विकास मिशन 2013-17 राज्य सरकार के एक प्राथमिक एवं नौचारी योजना है। मानव विकास पर विशेष जोर दिये बिना विकास प्रक्रिया को समावेशी दिशा देना संभव नहीं है। मानव विकास मिशन के तहत राज्य सरकार ने 6 घटक निर्धारित किये हैं- 1. जन सांख्यिकी, स्वास्थ्य एवं पोषण, 2. प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता, 3. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता, 4. सूचना प्रावैधिकी, 5. कमजोर एवं गरीब तबकों की सुरक्षा तथा 6. कला, संस्कृति एवं खेलकूद। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव विकास मिशन की निर्धारित योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) वैश्वीकरण के दौर में मानव संसाधन को प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने एवं आर्थिक विकास के लिए उनके कौशलों का विकास अत्यन्त जरूरी है, वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच राज्य के 1 करोड़ व्यक्तियों का कौशल विकास कर उनकी आमदनी को बढ़ाया जायेगा।
- (iv) मिशन मोड परियोजना के तहत राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय कार्यों एवं संव्यवहारों को ऑन लाइन करने की योजना है। इससे एक समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जायेगी। इस सॉफ्टवेयर प्रणाली पर राज्य के सभी विभाग एवं कार्यालयों के साथ महालेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंक इत्यादि के कार्यालय एक दूसरे से जुड़े रहेंगे।

इस प्रणाली से ई-भुगतान, ई-प्राप्ति, मानव संसाधन प्रबंधन, पेंशन, कोष प्रबंधन, अंकेक्षण इत्यादि के कुल 20 मॉड्यूल संस्थापित किये जायेंगे। इससे करदाता एवं जनता किसी भी प्रकार का भुगतान बैंक के माध्यम से घर बैठे सरकारी कोष में धन राशि जमा कर सकता है। करदाता एवं जनता जिसके द्वारा राजकोष में धन जमा किया गया है उसकी वापसी अगर होनी है तो ऑन लाइन की जा सकेगी। इस प्रणाली से वित्तीय कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी एवं कार्यों में पारदर्शिता एवं गति आयेगी।
- (v) लेखा प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न विभागों में आंतरिक वित्तीय सलाहकार पदस्थापित किये गये हैं। राज्य के कार्यालयों में लेखा संबंधित कार्यों के बेहतर निर्वहन के लिए लेखा लिपिक का संवर्ग गठित किया जाना प्रस्तावित।

- (vi) प्रथम चरण में राज्य के वैसे जिले जो आकार में बड़े हैं तथा जहाँ एक ही कोषागार है वहाँ अनुमंडल स्तर पर 20 कोषागार स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । राज्य में डेहरी, डुमराँव एवं नरकटियागंज अनुमंडल में नया कोषागार स्थापित किया गया है जिसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है । वर्ष 2014-15 में बारसोई, रजौली, राजगीर, साहपुर पटौरी, तेघड़ा और धमदाहा अनुमंडल में कोषागार कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसके बाद शेष 10 अनुमंडलों में कोषागार स्थापित करने का योजना है ।
- (vii) जन शिकायत कोषांग का सुदृढीकरण करना,
- (viii) राज्य के कर्मियों की क्षमता वृद्धि हेतु बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाना है तथा
- (ix) पेंशनरों का डाटा बेस तैयार करने की योजना है।

(5) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i) सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय का पूरक स्वरूप विदित है । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक शिक्षकों, चिकित्सकों, अर्द्ध चिकित्सीय कर्मचारियों की आवश्यकता है । राज्य में गरीबी तथा कुपोषण की उच्च दर के कारण खाद्यान्न सुरक्षा महत्वपूर्ण है । इसके कारण राजस्व व्यय बढ़ सकता है ।
- (ii) सामान्यतः ऋण कार्यक्रम तय करते समय मुद्रा बाजार में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है । ऋण नीति का उद्देश्य ऋण की औसत लागत कम करना एवं इसकी उत्पादकता बढ़ाना है ।
- (iii) कृषि विकास की दर में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन में लगने वाले आदानों (इनपुट) की लागत कम करने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।

- (6) **नीति मूल्यांकन** : बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2012-13 की वास्तविकी, वर्ष 2013-14 के बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अधिकाधिक पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(c) Copyright 2014 Finance Department, Govt. Of Bihar

PRINTED AT SARASWATI PRESS LTD. (GOVT. OF WESTBENGAL ENTERPRISE), KOLKATA 700056